

प्रेस नोट - दिनांक 07.04.2025

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव।

करीब 50 लाख रुपये कीमत की 05 किलो 200 ग्राम चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन द्वारा 05 किलो 200 ग्राम चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.04.2025 की रात्रि में थाना आसीवन पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना आसीवन क्षेत्रांतर्गत सिर्सकन्हर तिराहे से अभियुक्तगण 1.अनवार अली पुत्र लड्डन अली निवासी ग्राम देवपुरा थाना कालपी जनपद जालौन उम्र करीब 42 वर्ष 2.मनोज तिवारी पुत्र स्व0 प्रकाश नरायन तिवारी नि0 रतिनया थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 52 वर्ष को कब्जे से 05 किलो 200 ग्राम अवैध चरस (कीमत करीब 50 लाख रुपये) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ मे अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा रक्सौल बिहार से लाकर जनपद लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात तथा जनपद जालौन के गांव/कस्बो में बिक्री की जाती थी। गिरफ्तारी व बरामदगी के सन्दर्भ में थाना आसीवन पर मु0अ0सं0 98/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनवार अली व मनोज तिवारी उपरोक्त पंजीकृत किया गया है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.अनवार अली पुत्र लड्डन अली निवासी ग्राम देवपुरा थाना कालपी जनपद जालौन उम्र करीब 42 वर्ष।
- 2.मनोज तिवारी पुत्र स्व0 प्रकाश नरायन तिवारी नि0 रतनिया थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 52 वर्ष।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार मनोज तिवारी उपरोक्त

मु0अ0सं0 689/2018 धारा 18/20 NDPS ACT (थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात)

बरामदगी का विवरण-

- 1. 5.200 कि0ग्रा0 चरस नाजायज
- 2. 9500/- रुपये (जामा तलाशी)

गिरफ्तार करने वाले वाली पुलिस टीम

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह
- 2.उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव
- 3.हे0का0 उमेश सैनी
- 4.कां0 रवीन्द्रयादव
- 5.कां0 रितेश पटेल
- 6.कां0 रमाकान्त यादव
- 7 कां0 मनोज

